# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 45/2020

जगमाल पुत्र मथुरा प्रसाद जाति माली, निवासी प्रतापपुरा,तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम जगमाल अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 67/2020 निर्णय दिनांक 27.08.2020

उपस्थितिः–

1 श्री शीशराम सैनी, एडवोकेट ––––– ––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 18.01.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.08.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जगमाल मु0नं0 67/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– अपीलांट को दिनांक 22.5.2019 को तहसीलदार खेतड़ी द्वारा भूमि खसरा नंबर 424 रकबा 0.66 हैक्टेयर में से 0.010 हैक्टर भूमि रास्ते की भूमि बताकर उसे धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत बेदखल किये जाने का आदेश दिया था, उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट जगमाल पुत्र मथुरा प्रसाद ने अपील संख्या 31/19 पेश की गई थी जिसको सुना जाकर अपीलांट के समस्त रिकार्ड को अवलोकन करके न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.19 [illegible]र की जाकर तहसीलदर खेतड़ी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की गई थी, कि [illegible]दित भूमि का स्वयं मौका मुआयना कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान [illegible] हुये विधिक प्रावधान[illegible] अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.01.21 13:37:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

प्रकरण पुनः दर्ज कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे एवं सिविल न्यायालय खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय आदि की पूर्ण विवेचना करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुन विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट न्यायालय द्वारा दिनांक 31.7.2019 को अपील संख्या 31/19 में दिये गये आदेशों की पालना नहीं की। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा ना तो प्रकरण पुनः दर्ज किया गया और ना ही अपीलांट को सुना गया। बल्कि आदेशों के विपरित जाकर अपीलांटको पश्चातवृति अतिक्रमीमान कर पुनः धारा 91 (3) एल0आर0एक्ट का नोटिस दिया जाकर प्रकरण संख्या 67/2020 सरकार बनाम जगमाल के नाम से नया प्रकरण दर्ज कर इसे भूमि खसरा नंबर 424 रकबा 0.050 हैक्टर रास्ते के उपयोग की भूमि बताकर अवैध रूप से पत्थर छड़ी डाल कर कच्चा पारा लगा कर पश्चातवृति अतिक्रमी का नोटिस जारी कर पत्रावली 14.8.2020 को तामील हेतु दिनांक 26.8.2020 नियत की गई। दिनांक 26.8.2020 को गैरसायल की ओर से वकालत नामा पेश किया गया और वास्ते जवाब व साक्ष्य सबूत पत्रावली दिनांक 27.8.2020 नियत की गई, जब कि अपीलांट के वकील को आगे की तारीख दी गई थी। दिनांक 27.8.2020 को ही निर्णय पारित कर अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी मानकर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा ना तो अपीलांट को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया तथा पटवारी हल्का ने धारा 91 (3) एल.आर. एक्ट का जो नोटिस दिया गया है उसमें भूम खसरा नंबर 424 में रकबा 0.50 वर्ग मीटर भूमि पर पत्थर छड़ी डाल कर कच्चा पारा लगा कर अतिक्रमी बताया है। जब कि निर्णय में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करके रास्ते के उपयोग में बाधा डालने का आदेश पारित किया है और उक्त रास्ता शमशान भूमि में जाना बताया है। हल्का पटवारी ने रास्ते की भूमि होने के संबंध में कोई वर्णन नहीं किया है। मौके पर कोई रास्ता नहीं है। विवादित भूमि अपीलांट व सूरजाराम के वारिसान की पट्टेशुदा भूमि है, जिसका पट्टा दिनांक 26.3.1991 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। अपीलांट का कथन है कि उनक द्वारा एक वाद पत्र सूरजाराम बनाम राज0 सरकार बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसमें दिनांक [illegible]8 को उक्त वाद में तनकी नंबर 1 व तनकी नंबर 2 विवादित खसरा नंबर 424 की भूमि [illegible] वादी द्वारा संलग्न नक्शे में दर्शाए गये लाल स्याही से वादी अपीलांट के कब्जे व [illegible] से संबंधित है। उक्त तनकी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.01.21 13:37:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

निर्णय वादी के पक्ष में करते हुये सिविल न्यायाधीश खेतड़ी ने वादी का वाद पत्र डिक्री किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समय नहीं दिया है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में राजकीय भूमि में अतिक्रमण करने का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। नोटिस में खसरा नंबर 424 बारानी भूमि 3 में पत्थर छड़ी डालकर कच्चा पारा लगाने की रिपोर्ट पेश की है जिसमें भूमि किस्म किस प्रकार की है, नहीं बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा निर्णय में रास्ते का उल्लेख किया गया है, रास्ते के प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्टके प्रावधान लागू नहीं होते। धारा 251 आर.टी.एक्ट में तहसीलदार को रास्तु खुलासा करवाने के अधिकार हैं। पटवारी ने अतिक्रमण की कोई लम्बाई–चौड़ाई नहीं बताई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदर खेतड़ी के निर्णय दिनांक27.08.2020 प्रकरण संख्या 67/20 निरस्त किया जाकर अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास को बहाल किया जावे व प्रकरण को पूर्व में अपील संख्या 31/19 मं दिनांक 31.7.2019 को जो रिमांड में आदेश दिये गये थे, उनकी पालना करवाते हुये प्रकरण को पुनः अपीलांट को जवाब व साक्ष्य सबूत कर अवसर दिया जाकर पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– अपीलांट को दिनांक 22.5.2019 को तहसीलदार खेतड़ी द्वारा भूमि खसरा नंबर 424 रकबा 0. 66 हैक्टेयर में से 0.010 हैक्टर भूमि रास्ते की भूमि बताकर उसे धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत बेदखल किये जाने का आदेश दिया था, उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट जगमाल पुत्र मथुरा प्रसाद ने अपील संख्या 31/19 पेश की गई थी जिसको सुना जाकर अपीलांट के समस्त रिकार्ड को अवलोकन करके न्यायालय द्वारा [illegible]1.07.19 को स्वीकार की जाकर तहसीलदर खेतड़ी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित [illegible] थी, कि विवादित भूमि का स्वयं मौका मुआयना कर पक्षकारान को [illegible] अवसर प्रदान करते हुये विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.01.21 13:37:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनूं

प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण पुनः दर्ज कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे एवं सिविल न्यायालय खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय आदि की पूर्ण विवेचना करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुन विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट न्यायालय द्वारा दिनांक 31.7.2019 को अपील संख्या 31/19 में दिये गये आदेशों की पालना नहीं की। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा ना तो प्रकरण पुनः दर्ज किया गया और ना ही अपीलांट को सुना गया। बल्कि आदेशों के विपरित जाकर अपीलांटको पश्चातवृति अतिक्रमीमान कर पुनः धारा 91 (3) एल0आर0एक्ट का नोटिस दिया जाकर प्रकरण संख्या 67/2020 सरकार बनाम जगमाल के नाम से नया प्रकरण दर्ज कर इसे भूमि खसरा नंबर 424 रकबा 0.050 हैक्टर रास्ते के उपयोग की भूमि बताकर अवैध रूप से पत्थर छड़ी डाल कर कच्चा पारा लगा कर पश्चातवृति अतिक्रमी का नोटिस जारी कर पत्रावली 14.8.2020 को तामील हेतु दिनांक 26.8.2020 नियत की गई। दिनांक 26.8.2020 को गैरसायल की ओर से वकालत नामा पेश किया गया और वास्ते जवाब व साक्ष्य सबूत पत्रावली दिनांक 27.8.2020 नियत की गई, जब कि अपीलांट के वकील को आगे की तारीख दी गई थी। दिनांक 27.8.2020 को ही निर्णय पारित कर अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी मानकर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा ना तो अपीलांट को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया तथा पटवारी हल्का ने धारा 91 (3) एल.आर. एक्ट का जो नोटिस दिया गया है उसमें भूम खसरा नंबर 424 में रकबा 0.50 वर्ग मीटर भूमि पर पत्थर छड़ी डाल कर कच्चा पारा लगा कर अतिक्रमी बताया है। जब कि निर्णय में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करके रास्ते के उपयोग में बाधा डालने का आदेश पारित किया है और उक्त रास्ता शमशान भूमि में जाना बताया है। हल्का पटवारी ने रास्ते की भूमि होने के संबंध में कोई वर्णन नहीं किया है। मौके पर कोई रास्ता नहीं है। विवादित भूमि अपीलांट व सूरजाराम के वारिसान की पट्टेशुदा भूमि है, जिसका पट्टा दिनांक 26.3.1991 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। अपीलांट का कथन है कि उनक द्वारा एक वाद पत्र सूरजाराम बनाम राज0 सरकार बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया [illegible] जिसमें दिनांक 12.12.2018 को उक्त वाद में तनकी नंबर 1 व तनकी नंबर 2 विवादित [illegible] नंबर 424 की भूमि पर वादी द्वारा संलग्न नक्शे में दर्शाए गये [illegible] अपीलांट के कब्जे व अधिकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.01.21 13:37:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

संबंधित है। उक्त तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में करते हुये सिविल न्यायाधीश खेतड़ी ने वादी का वाद पत्र डिक्री किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समय नहीं दिया है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में राजकीय भूमि में अतिक्रमण करने का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदर खेतड़ी के निर्णय दिनांक27.08.2020 प्रकरण संख्या 67/20 निरस्त किया जाकर अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास को बहाल किया जावे व प्रकरण को पूर्व में अपील संख्या 31/19 मं दिनांक 31.7.2019 को जो रिमांड में आदेश दिये गये थे, उनकी पालना करवाते हुये प्रकरण को पुनः अपीलांट को जवाब व साक्ष्य सबूत कर अवसर दिया जाकर पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 424 रकबा 0.66 हैक्टेयर में से 0.010 हैक्टर भूमि पर छड़ी आदि डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिसको दिनांक 6.8.2019 को भौतिक रूप से हटाने के उपरान्त पुनः अधिकरण करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि खसरा नंबर 424 रकबा 0.66 हैक्टेयर में से 0.010 हैक्टर भूमि पर अपलांट द्वारा अतिक्रमण किये जाने के संबंध में इस न्यायालय में पूर्व में अपील संख्या 31/2019 जगमाल बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 31.07.2019 को अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 22.05.2019 सरकार बनाम जगमाल मु0 नं0 175/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशों के साथ निर्देशित किया गया था कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे एवं [illegible] न्यायालय खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय आदि की पूर्ण विवेचना करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के मुकदमा संख्या 67/2020 सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.01.21 13:37:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

बनाम जगमाल का अवलोकन किया गया। पत्रावली की आदेशिका में अपीलांट कोर्ट द्वारा अपील संख्या 31/2019 में दिये गये निर्देश एवं प्रकरण रिमाण्ड होने का कोई उल्लेख नहीं किया जाकर नये सिरे से धारा 91 एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दिनांक 14.8.2020 को दर्ज किया गया और तलबी एवं जवाब, सबूत हेतु पत्रावली दिनांक 26.8.2020 को नियत की गई है। दिनांक 26.8.2020 को विद्धान अधिवक्ता गैर सायल द्वारा जवाब एवं सबूत पेश करने हेतु अवसर चाहा गया और पत्रावली अगले दिन दिनांक 27.08.2020 को नियत की गई। दिनांक 27.08.2020 को प्रकरण का निर्णय किया जाकर गैर सायल जगमाल को पश्चातवृति अतिक्रमी मानकार तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी माना है। प्रकरण की पत्रावली में ना तो पूर्व में अतिक्रमण हटाये जाने की मौका फर्द रिपोर्ट है। पूर्व में किस आदेश से कब अतिक्रमण हटाया गया पत्रावली पर कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील संख्या 31/2019 में दिये गये निर्देश के संबंध में क्या कार्यवाही की गई कोई उल्लेख नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रावधानों के बाहर जाकर हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। पश्चातवृति अतिकमण को साबित करने के लिये पूर्व में हटाये गये अतिक्रमण के संबंध में फर्द मौका रिपोर्ट एवं आदेश को प्रदर्शित करवाये जाने का अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2020 उनवानी सरकार बनाम जगमाल मु0नं0 67/2020 निरस्त किया जाता है । पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि पूर्व में अपील संख्या 31/19 जगमाल बनाम सरकार निणर्य दिनांक 31.7.2019 में इस न्यायालय द्वारा रिमाण्ड [illegible] में दिये गये निर्देशों के अनुसार विवादित भूमि का तहसीलदार खेतड़ी स्वयं मौका [illegible] कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये ग्राम पंचायत [illegible] पट्टे एवं सिविल न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.01.21 13:37:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

पारित आदेश, राजस्व रिकार्ड आदि का परीक्षण कर पूर्ण विवेचना के साथ पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.01.21 13:37:17 IST
Reason: SelfAttested